न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण स. 1874/2017 (2017/01474)

उनवान

भोजराज सिंधी उम्र 48 साल पुत्र श्री टोपनदास सिंधी जाति सिंधी निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

––वादीगण

बनाम

1. गलकू पत्नि लादू
2. भागचन्द पुत्र लादू
3. प्रहलाद पुत्र लादू
4. किशनलाल पुत्र भूरा

   समस्त जाति लोधा निवासीगण राजपुरा तह.सावर जिला अजमेर
5. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

6. श्री दिनेश कारिहा पुत्र पूरणमल जाति सिंधीनिवासी लाभचन्द मार्केट , केकडी जिला अजमेर ।

प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अंतर्गत धारा 53,88,209 राज.काश्तकारी अधि.एंव धारा 136राज.भू.राज.अधि.</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अंन्तर्गत धारा 53, 188,209 राज.काश्त.अधि.एंव धारा 136 राज.भू.राज.अधि. के तहत पेश किया कि निम्न वर्णित आराजीयाता वाके ग्राम भाण्डावास की जमाबन्दी सं. 2071–74 तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है ।

खेवट संख्या नयी–	खतौनी पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
31	78	990	0.79	बारानी 1

पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 5.2.2021 को जारी की गई जिसके अनुसार वादी का दावा ग्राम भाण्डावास बाबत स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार किशना , लाला पि. भूरा हिस्सा 2/5 ,गलकू पत्नि लादू भागचन्द, प्रहलाद, पि. लादू हिस्सा 125 कौम लोदा साकिन राजपुरा , भोजराज पुत्र टोपनदास हिस्सा 2/5 साकिन केकडी खातेदार दर्ज है के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने योग्य है। प्रतिवादी स. 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर किशना व लाला का नाम विलोपित किया जाकर किशनलाल दर्ज किया जाये तथा राजस्व रिकॉर्ड म [illegible] 1/2 [illegible] प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा [illegible]सार [illegible]धिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सावर को मोका [illegible] किया [illegible]

तहसीलदार सावर द्वारा उनके पत्रांक/आर/[illegible]/1495 दिनांक 24.9.2[illegible] बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

ग्राम भाण्डावास के खसरा नम्बर 990 रकबा 0.79 किस्म बारानी 1 का बंटवारा निम्न प्रकार किया गया:–

1. वादी भोजराज पुत्र टोपनदास सिंधी निवासी केकडी हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 990/1 रकबा 0.3950 है. किस्म बारानी 1 जिसको नक्शाट्रेस मे नीले रंग से दर्शित किया गया है।
2. प्रतिवादीगण गलकू पत्नि लादू ,भागचन्द पि. लादू ,किशन पुत्र भूरा जाति लोधा निवासी राजपुरा को 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 990 मूल रकबा 0.3950 है. किस्म बारानी 1 को लाल रंग से दर्शित किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाता है:–

1. वादी भोजराज पुत्र टोपनदास सिंधी निवासी केकडी हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 990/1 रकबा 0.3950 है. किस्म बारानी 1 जिसको नक्शाट्रेस मे नीले रंग से दर्शित किया गया है।
2. प्रतिवादीगण गलकू पत्नि लादू ,भागचन्द पि. लादू ,किशन पुत्र भूरा जाति लोधा निवासी राजपुरा को 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 990 मूल रकबा 0.3950 है. किस्म बारानी 1 को लाल रंग से दर्शित किया गया है।

इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जायें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एव नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकासपंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner